न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2025/98)

प्रकरण संख्याः– 57/2025
तारीख दायरः– 02/07/2025
निर्णय दिनांकः–30/10/2025

उनवान

1. मागु पिता दुदा जाति सालवी निवासी घाटी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. मीठु पिता प्रताप जाति सालवी निवासी घाटी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

प्रार्थीगण।

बनाम

1. गंगा राम पिता मोडा जाति गुर्जर निवासी घाटी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. रूपा पिता मोडा जाति गुर्जर निवासी घाटी तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
3. घीसा रावल पिता रामा रावल जाति रावल निवासी घाटी हनावा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
4. तहसीलदार देवगढ़, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम घाटी पटवार सर्कल घाटी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 163 आराजी संख्या 500 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 501 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 502 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 503 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, आराजी संख्या 600 रकबा 1.2200 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जेशुदा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 एवं 03 के बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01, 02 एवं 03 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 04 पैरोकार सरकार होने से जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। बहस पर पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

-:आदेशः-

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम घाटी पटवार सर्कल घाटी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 163 के **आराजी संख्या आराजी संख्या 600 रकबा 1.2200 हैक्टेयर गैर मु0 रास्ता को छोडते हुए** आराजी संख्या 500 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 501 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 502 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, आराजी संख्या 503 रकबा 0.4800 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला-राजसमन्द (राज.)